2/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी--श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 294/11 — तारीख रजू– 14/06/2011

1. [illegible]लाल पुत्र भैरू जाति ब्राहम्मण उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. [illegible] सुरजा पुत्री भैरू बेवा बजरंगलाल जाति ब्राहमण उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम [illegible]पुरा तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान। --अपीलान्ट

बनाम

1. मोती पुत्र भैरू जाति ब्राहम्मण पेशा काश्त (फौत)
   1/1 कल्याणी पत्नि मोती जाति ब्राहम्ण पेश काश्त
2. [illegible] पुत्र भैरू जाति ब्राहम्मण पेशा काश्त निवासी ग्राम भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा।
4. लादूराम पुत्र गंगालाल जाति ब्राहमण पेशा काश्त निवासी ग्राम भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर --रेस्पोडेन्टान

निर्णय — दिनांक--. 11.1.19.

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम भगवतगढ के नामान्तकरण संख्या 2188 मे पारित निर्णय दिनांक 03/06/1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम भगवतगढ़ में भैरू पुत्र कल्याण ब्राहम्ण फौत हो जाने पर उनकी खातेदारी भूमि का उत्तराधिकारी नामान्तकरण रेस्पों सं0 1 व 2 के नाम तस्दीक हुआ है।जबकि अपीलार्थी स्वयं को भैरू पुत्र कल्याण का उत्तराधिकारी होना बता रहे है, साथ ही नामान्तकरण संख्या 2188 निर्णय दिनांक 03/06/1986 वाके ग्राम भगवतगढ निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा रेस्पोडेन्टस् मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता भैरू पुत्र कल्याण ब्राहम्मण निवासी भगवतगढ की विरासत का नामांतकरण रेस्पों सं0 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक कर दिया। जबकि रेस्पों0 सं0 1 व 2 मृतक भैरू पुत्र कल्याण के उत्तराधिकारी न होकर भैरू पुत्र देवा ब्राहम्मण के उत्तराधिकारी है। जिन्होने अपने आपको गलत व नाजायज रूप से भैरू पुत्र कल्याण के उत्तराधिकारी होना बताकर उसकी विरासत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

27/A

का गलत नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया है,साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 2188 निर्णय दिनांक 03/06/1986 वाके ग्राम भगवतगढ निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा में उद्घोषणा हेतु दावा सं0 200/11 लादूराम बनाम मोती वगै0 विचाराधीन है। उक्त दावे के निर्णय के पश्चात् ही प्रकरण मे निर्णय सुनाने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लादूराम पुत्र गंगालाल जाति ब्राहमण ने पक्षकार बनकर मौजुदा प्रकरण में आराजीयात मुक्तनाजा के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के यहां नम्बरी वाद सं0 200/11 लादूराम बनाम मोती वगै0 दायर किया हुआ है। जो जैरकार है। जब आराजीयात मुक्तनाजा के संबंध में नम्बरी वाद सक्षम न्यायालय में जैरकार है। जिसमें अधिकारो की धोषणा किया जाना है। ऐसी स्थिति में यदि मौजुदा अपील का निर्णय किया जाता है तो उक्त वाद के गुणावगुण में असर होगा। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र अभिमत में उक्त वाद का निर्णय होने तक मौजुदा प्रकरण में आदेश प्रतिपादित किया जाना उचित नहीं है। अत पत्रावली ताफैसला दावा जिला अभिलेखाकार में इस आशय के निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर हो कि उक्त वाद के निर्णय होने पर पक्षकारगण आदेश की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर मौजुदा प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर